



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

## (Summons)

फाइल सं.: NCST/ATY-2728 UP/80/2025-RU-IV

श्री मंगला प्रसाद

जिलाधिकारी जिला बलिया -

डीएम कैम्प कार्यालय,

सिविल लाइंस, बलिया, बलिया, उत्तर प्रदेश

277001

ई-मेल-dmbal@nic.in

श्री झोमवीर सिंह

पुलिस अधीक्षक जिला बलिया - पुलिस

लाइन, बलिया, बलिया,

उत्तर प्रदेश 277001

ई-मेल-spbla-up@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक 18 मई, 2026 को दोपहर 12:40 बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबंधित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

## मामलों का संदर्भ :-

## संदर्भ 1

(i) भूमि पर जबरन कब्जा करने तथा प्रार्थी तथा उसके परिवार के साथ संभावित जघन्य अपराध की आशंका के संबंध में - श्री विकास सिंह, ग्रामसाकिन भगवानपुर-, थानादोकटी-, जिला(उत्तर प्रदेश) बलिया- का दिनांक 21.05.2025 का पत्र/अभ्यावेदन।

(ii) अनुस्मारक एनसीएसटी नोटिस dated 08-12-2025

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 08.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

मोहर



Court Officer  
National Commission for Scheduled Tribes  
Lok Nayak Bhawan, New Delhi-110003